न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 132/2025 बउनवानी देवेन्द्र कुमार मीना **बनाम** उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पुत्र श्री बत्तीराम मीना निवासी मीनापाडा पो0 कुनकटाकला तहसील तलावडा

GCMS No-2025/ 297

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	
8.10.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 30.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" ***महाविद्यालय में पिछले 5 वर्षो मे खरीदे गये फर्नीचर का विवरण, विभिन्न पाठयक्रमों की फीस व प्रवेश प्रकिया, उपलब्ध सुविधाऐ, कॉलेज को सरकार से प्राप्त अनुदान एवं उसके उपयोग तथा छात्रो के खिलाफ की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की जानकारी की प्रमाणित सूचना।*** "उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः आरटीआई/2025/96 दिनांक 4.10.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर गंगुपर सिटी के कार्यालय मे प्राप्त नही हुआ है। इसलिए प्रार्थी को चाही गयी सूचना उपलब्ध नही गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी से होने के कारण उक्त सूचना उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। चूंकि उक्त सूचना का संबंध प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी से है जिसके विरूद्व प्रस्तुत उक्त प्रथम अपील को सुनवायी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है। अतः अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner